फा.सं. एबी-11020/1/2024-सामान्य_समन्वय.; ई-27399

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

*****

अप्रैल, 2024 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां।

1. **<u>पशुधन स्वास्थ्य:</u>**

अप्रैल 2024 माह के दौरान किसी बड़े रोग का प्रकोप नहीं हुआ है।

(i) <u>राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम</u> <u>- टीकाकरण की स्थिति</u>

(i) एनएडीसीपी के तहत पशु टीकों की आपूर्ति निर्बाध रही और टीकाकरण सुचारू रूप से किया गया। वर्ष के दौरान टीकों की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। नतीजतन, टीकों की आपूर्ति निर्बाध रही।

(II) <u>एफएमडी टीकाकरण</u>

(i) भारत पशुधन पोर्टल में अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में, कुल 5.02 करोड़ टीकों की खुराक की आपूर्ति की गई और 1.50 करोड़ गोपशुओं और भैंसों का टीकाकरण किया गया।

(ii) वर्तमान में, केवल एक राज्य कर्नाटक में पांचवे चरण का टीकाकरण चल रहा है, चौथे चरण का टीकाकरण 8 राज्यों में पूरा हो चुका है और 10 राज्यों में चल रहा है तथा तीसरे चरण का टीकाकरण 30 राज्यों में पूरा हो चुका है और 5 राज्यों में चल रहा है।

(III) <u>एलएसडी टीकाकरण</u>

(i) विभाग लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी) के समय पर नियंत्रण और रोकथाम तथा रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है। रोग वर्तमान में नियंत्रण में है और दिशानिर्देशों के अनुसार टीकाकरण चल रहा है। वर्ष 2024 के दौरान एलएसडी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए संचयी टीकाकरण की संख्या **34462056** है। अप्रैल 2024 माह के दौरान किए गए एलएसडी टीकाकरण की संख्या **17432898** है। अप्रैल माह में 116 पशु प्रभावित हुए और 06 पशुओं की मृत्यु हुई। अप्रैल 2024 माह में सक्रिय मामलों की संख्या 297 है।

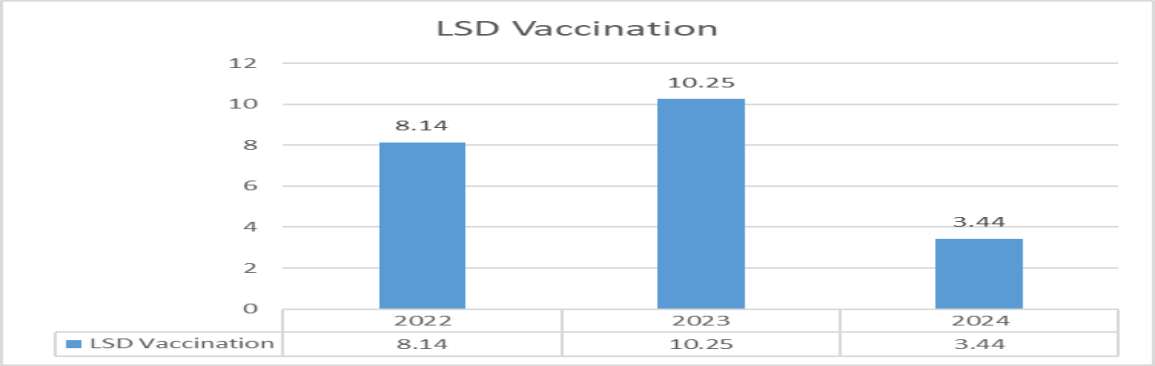

चित्र- एलएसडी के लिए वर्षवार (जनवरी-दिसंबर) टीकाकृत पशु
*वर्ष 2024 के लिए, आंकड़ा अप्रैल तक का

(ii) विभाग एएसएफ के समय पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है और इस समय यह रोग नियंत्रण में है तथा इस समय कोई सक्रिय मामला नहीं है। राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार जैव सुरक्षा और अन्य नियंत्रण उपाय किए जा रहे हैं।

(IV) <u>मोबाइल पशुचिकित्सा एकक (एमवीयू)</u>

(i) समन्वित प्रयासों से 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3013 एमवीयू कार्यशील किए गए।

(v) <u>पशुधन स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए पशु कल्याण समितियां</u>

(i) विभाग ने पशुचिकित्सा अवसंरचना (पशु कल्याण समिति) के सुदृढ़ीकरण के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पशु कल्याण समितियों के संबंध में जिला स्तर पर पशु कल्याण समितियों के गठन और उन्हें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने के लिए सचिव डीएएचडी द्वारा एसीएस/प्रधान सचिवों (पशुपालन) को पत्र लिखा गया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव (पशुधन स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पशु कल्याण समितियों के गठन की प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 25.04.2024 को एक वर्चुवल बैठक आयोजित की गई।

(ii) विभाग ने दिनांक 20 अप्रैल 2024 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) के 11 सदस्यों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया है। ऑनलाइन वोटिंग के लिए एनआईसी के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया

है। मतदान की तिथि 08.06.2024 है और मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा की तिथि 09.06.2024 है।

2. <u>राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)</u>

I. राष्ट्रीय पशु आहार कानून के संबंध में आगे की प्रक्रिया बारे में चर्चा करने के लिए एफएसएसएआई द्वारा एनएलएम प्रभाग के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।

II. सभी क्षेत्रीय चारा स्टेशनों के वर्ष 2024-25 के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए संयुक्त सचिव (एनएलएम) की अध्यक्षता में दिनांक 19.04.2024 को एक समीक्षा बैठक निर्धारित की गई थी।

III. दिनांक 19.04.2024 को एक अ.शा. पत्र द्वारा सचिव (एएचडी) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को संबोधित किया, जिसमें चारा बीज उत्पादन के साथ-साथ देश में चारे की कमी को दूर करने के लिए गैर-वन/वन भूमि से चारा उत्पादन जैसे नए शुरू किए गए घटकों पर प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है, जिसके बाद उचित कार्रवाई के लिए संयुक्त सचिव (एनएलएम) के दिनांक 24.04.2024 के अ.शा. पत्र को सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को भेजा गया है।

3. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ):

एएचआईडीएफ का प्रशासनिक अनुमोदन अप्रैल 2024 माह में जारी किया गया है।

4. <u>डेयरी प्रभाग:</u>

(1) सचिव (एएचडी) की अध्यक्षता में दूध की स्थिति की समीक्षा संबंधी बैठक दिनांक 04.04.2024 को आयोजित की गई। बैठक के दौरान, हितधारकों के साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

(i) **दूध और दूध उत्पादों की कीमतें और उपलब्धता:** चर्चा के दौरान यह देखा गया कि देश में दूध की स्थिति वर्तमान में स्थिर है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से मध्याह्न भोजन/आईसीडीएस और अन्य कार्यक्रमों में दूध और दुग्ध उत्पादों को शामिल करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, सभी डेयरी परिसंघों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के अनूठे डेयरी आधारित उत्पाद को बढ़ावा देना चाहिए।

(ii) चारे का मूल्य और उपलब्धता तथा चारा अवसंरचना का विकास: डीएएचडी विभिन्न योजनाएं चला रहा है जैसे गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता,

आहार और चारे में उद्यमशीलता विकास, चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना हेतु इडीपी/चारा बीज भंडारण गोदाम, बीज प्रसंस्करण और वर्गीकरण उद्यमियों की स्थापना, गैर-वन बंजर भूमि/रेंज भूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन, गैर-वन बंजर भूमि/रैंज भूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना के तहत भी सहायता का लाभ उठाया जा सकता है।

(iii) निर्यात संभाव्यता और निर्यात अवसरों का अन्वेषण: बैठक के दौरान निर्यात के लिए संभावित मद और अवसरों पर चर्चा की गई। अच्छा मार्जिन प्राप्त करने के लिए उत्पाद को वस्तुओं के रूप में निर्यात न करके ब्रांड के रूप में निर्यात करने पर भी प्रकाश डाला गया। निर्यात के लिए भारतीय प्रवासियों की उच्च संख्या वाले देशों को लक्षित किया जा सकता है।

(2) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिनांक 02.04.2024 को जारी किया गया।

(3) सीसीईए ने दिनांक 01.02.2024 की अपनी बैठक में डीआईडीएफ के एएचआईडीएफ में विलय को अगले तीन वर्षों, वर्ष 2025-26 तक के लिए विस्तारित करने को अनुमोदित कर दिया। तदनुसार, एएचआईडीएफ योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिनांक 25.04.2024 को जारी किया गया।

(4) पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दिनांक 03.04.2024 को एक वीसी बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश में पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए चल रहे किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव (एएचडी) ने की। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पशुपालन और डेयरी विभाग), वित्तीय सेवा विभाग, नाबार्ड, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों और एसएलबीसी संयोजकों ने भाग लिया।

5. <u>अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी):</u>

(1) अप्रैल, 2024 माह के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्रा:-

(i) डॉ. ओ.पी. चौधरी, संयुक्त सचिव (एनएलएम) ने दिनांक 27 अप्रैल-1 मई, 2024 के दौरान ब्राजील में आयोजित 89वीं अंतर्राष्ट्रीय ज़ेबू गोपशु प्रदर्शनी, ज़ेबू एक्सपो 2024 और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ज़ेबू ब्रीडर्स सम्मेलन में भाग लिया।

(ii) श्री दयानंद सावंत अप्पा, उपायुक्त (डेयरी) ने दिनांक 10-13 अप्रैल, 2024 के दौरान नीदरलैंड में आयोजित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर छठी भारत-डच संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

(iii) डॉ. वेंकटेशन जी, सहायक आयुक्त ने दिनांक 15-19 अप्रैल, 2024 के दौरान वेलिंगटन, न्यूज़ीलैंड में आयोजित एमपीआई (प्राथमिक उद्योग मंत्रालय) एप्लाइड महामारी विज्ञान व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लिया।

(2) अप्रैल, 2024 माह के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें:-

(i) सचिव, डीएएचडी और भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त महामहिम श्री फिलिप ग्रीन ओएएम के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के बीच दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक बैठक दिनांक 2.4.2024 को आयोजित की गई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में प्रत्येक देश की प्राथमिकताओं पर चर्चा की और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया।

(ii) सचिव, डीएएचडी और भारत में थाईलैंड की राजदूत सुश्री पैटरेट होंगटोंग के बीच दोनों देशों के मध्य बाजार पहुंच के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 9.4.2024 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान थाईलैंड पक्ष ने थाइलैंड से भारत में डेयरी उत्पादों, पालतू पशुओं के भोजन और पॉल्ट्री मीट के आयात के लिए स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) के मुद्दे को उठाया। साथ ही, भारतीय पक्ष ने थाईलैंड में भारतीय पोल्ट्री उत्पादों, डेयरी उत्पादों और भैंस के हिमित मांस की बाजार पहुंच को भी हरी झंडी दिखाई।

(iii) सचिव, डीएएचडी और भारत में उरुग्वे के राजदूत महामहिम श्री अल्बर्टो ए. गुआनी, के बीच उरुग्वे से भारत में पोर्क म्यूकोसा के निर्यात के लिए पारस्परिक रूप से सहमत पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का आदान-प्रदान करने के लिए दिनांक 09.04.2024 को एक बैठक आयोजित की गई। भारतीय पक्ष ने भारतीय डेयरी उत्पादों और भैंस के मांस की निर्यात की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला और उरुग्वे को इन उत्पादों के निर्यात के लिए भारत के अनुरोध में तेजी लाने का अनुरोध किया।

(iv) सचिव, डीएएचडी और भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त महामहिम श्री साइमन वोंग, के बीच दोनों देशों के मध्य बाजार पहुंच के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 19.4.2024 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सिंगापुर से भारत में डेयरी उत्पादों और पोल्ट्री मीट के आयात के लिए भारतीय स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) संबंधी आवश्यकताओं पर विस्तार से

चर्चा की गई। भारतीय पक्ष ने सिंगापुर में भारतीय पोल्ट्री उत्पादों और भैंस के हिमित मांस की बाजार पहुंच को भी हरी झंडी दिखाई।

6. <u>बजट:</u>

<u>व्यय</u>

मार्च, 2024 माह में व्यय किए गए 1363.86 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल, 2024 माह में कुल मिलाकर 30.45 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

7. <u>शिकायत निपटान:</u>

(i) पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए शिकायत निपटान सीपीजीआरएएम पोर्टल के तहत 94 प्रतिशत है।

****